



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 889]

नई दिल्ली, सोमवार] फरवरी 25, 2019/ फाल्गुन 6, 1940

No. 889]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 25, 2019/PHALGUNA 6, 1940

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2019

का.आ. 1020(अ)—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म, और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 14 के साथ पठित धारा 29 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन किस्मों (वर्तमान किस्मों और कृषक किस्मों से भिन्न) के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रजातियों को विनिर्दिष्ट करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 12 मई, 2017 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और एवं किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1536(अ), में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 140 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"141.	मोरिंगा (मोरिंगा औलीफेरा)	मोरिंगा	सहजन।"

[फा.सं. 2-9/2008-एस.डी.वी]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1536(अ), तारीख 12 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् उसे का.आ. 3406(अ) तारीख 24 अक्तूबर, 2017, का.आ. 133(अ) तारीख 10 जनवरी, 2018 और का.आ. सं. 3396(अ), तारीख 11 जुलाई, 2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMER'S WELFARE**(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)****NOTIFICATION**New Delhi, the 25th February, 2019

S.O. 1020(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 29 read with section 14 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby specifies the following species for the purpose of registration of varieties (other than extant varieties and farmers' varieties) under the said Act, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare), number S.O. 1536(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 12th May, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 140 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"141.	Moringa (<i>Moringaoleifera</i>)	Moringa	Sahajan."

[F. No. 2-9/2008-SD.V]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1536(E), dated the 12th May, 2017 and subsequently amended vide S.O. 3406(E) dated 24th October, 2017, S.O.133 (E) dated 10th January, 2018 and S.O. No. 3396 (E) dated 11th July, 2018.